

फाइल संख्या: 15/3/2019 – भर्ती मु.
दिनांक 21.02.2020 को कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर
अपलोड की जाए
भारत सरकार
कार्मिक,लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग
(वेबसाइट: <http://ssc.nic.in>)

विज्ञापन संख्या:चरण-VIII/2020/चयन पद

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख :21-02-2020 से 20-03-2020
तक

आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि : 20-03-2020 (23.59 बजे तक)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि : 23.03.2020 (23.59 बजे
तक)

ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि : 23-03-2020 (23.59 बजे
तक)

चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि(बैंक के कार्य समय के दौरान): 25-
03-2020

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि : 10-06-2020 से 12-06-2020 तक

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन
प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है।"

1. इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में उल्लिखित चयन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है और वे व्यवस्थित रूप में हैं। अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व इस

भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता (अ.यो.)/अनुभव/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं। वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी।

1.1 आवेदन की प्रस्थिति से लेकर प्रयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल है, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> / और आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी।

1.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध क्षेत्र से संबंधित पदों की विभिन्न श्रेणियों और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों को देखते रहें।

2. पदों के ब्योरे/विवरण इस परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए हैं। पद के ब्योरों का सीधा लिंक अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे <https://ssc.nic.in> → **Candidates Dashboard** → **Latest Notification** → **Phase-VIII/2020/Selection Posts** → **Post Details Link** पर लॉगइन करके देखा जा सकता है।

2.1 इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। मांगकर्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

2.2 वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए।

3. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें:

3.1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए:

शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजन के बाद या उसके बाद किसी भी स्तर पर, अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का (अनुबंध-VI) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी जाति/उप जातियां/समुदाय, अजा और अजजा श्रेणी के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.2. अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए:

अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (अनुबंध-VII) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् **20.03.2020** होगी। अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती।

3.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस):

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण प्राप्त करने के लाभ का दावा करने हेतु जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्रारूप अनुबंध-XI के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि को ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि (अर्थात् **20.03.2020**) के रूप में माना जाएगा। अभ्यर्थी उपरोक्त के संबंध में यह भी ध्यान दे कि, उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

3.4 अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस/शा.दि स्थिति या अन्य लाभ अर्थात् शुल्क में रियायत, आरक्षण जहां निर्दिष्ट न हो अन्यथा, का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् **20.03.2020** होगी।

3.5 केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

3.5.1 केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् **20.03.2020** को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तब तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।

3.5.2 आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्रारूप अनुबंध-X के अनुसार

अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा अनुबंध-X (क) के अनुसार एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्हें अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

3.5.3 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.15012/2/2010-स्था.(घ) दिनांक 27.03.2012 में निहित अनुदेशों के अनुसार, समूह 'ख' पदों के लिए आवेदन करने वाले सीजीसीई पर आयु में छूट लागू नहीं है।

टिप्पणी:-अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग को उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

4. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग/अन्य) आवेदकों के लिए :

4.1 शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों(शा.दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख अनुबंध-III में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है। शारीरिक

रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं।

4.2. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) केवल वे व्यक्ति, जिन्हें बेंचमार्क दिव्यांगता है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।

4.3. उन्हें जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, प्रारूप [अनुबंध-VIII(प्रपत्र-V)/(प्रपत्र-VI)/ प्रपत्र-VII)] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा,

अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अन्तर्गत जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा

4.4. शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश।

जैसा कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा अस्थि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग श्रेणियों के अलावा, इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यक्षीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण)(पैरा 2.2) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

क्रम संख्या	दिव्यांगता का प्रकार	पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता।	अस्थि दिव्यांग

(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता ।	अन्य
(ङ)	बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडो के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं	

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

5.1 अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

5.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा।

6. आयु-सीमा :

6.1 पद (पदों) की विशिष्ट श्रेणी के लिए आयु-सीमा का अनुबंध-III में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है।

6.2 जन्म तिथि का प्रमाण:आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

6.3 ऊपरी आयु-सीमा में छूट: आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

श्रेणी कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
01.	अजा/अजजा	05 वर्ष
02.	अपिव	03 वर्ष
03.	शा दि	10 वर्ष
04.	शा दि +अपिव	13 वर्ष
05.	शा दि+ अजा/अजजा	15 वर्ष
06.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	3 वर्ष
09.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	8 वर्ष
केवल समूह 'ग' पदों के लिए		
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन	40 वर्ष की आयु

	प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

टिप्पणी : 1 - आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में ही स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें उसी सीमा तक आयु में छूट प्राप्त होगी, जो कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

टिप्पणी : 2 - ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें उनके लिए यथा-लागू सही आयु छूट कोड को भरना अपेक्षित होगा।

7. भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश।

7.1 शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्राप्त प्रारूप **अनुबंध-IX** के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप **अनुबंध-IX (क)** के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 वर्तमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों की रिक्तियां आरक्षित हैं।

- 7.3 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।
- 7.4 भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार के सिविल सेवाओं में नियमित रूप से समूह 'ग' और 'घ' पदों पर रोजगार हासिल कर लिया गया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी और शुल्क छूट के पात्र नहीं हैं । तथापि, वह अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है यदि सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने के दिनांक वार ब्योरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित/ वचनबद्ध किया हो जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल राजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (आरक्षण) में यथा उल्लिखित है ।
- 7.5 एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने नौसेना या वायु सेना में भारतीय सेना के विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र अथवा पत्राचार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् **20.03.2020**) की स्थिति तक कम से कम 15 वर्ष तक की सेवा की है, उन्हें केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु समूह 'ग' पद, जिसके लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता 'स्नातक' है, में नियुक्ति के लिए पात्र विचार किया जाएगा और यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों हेतु पद के लिए निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने के अध्याधीन होगा। इस प्रकार, वे मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

- 7.6 भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट, शुल्क में रियायत, और आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।
- 7.7 आरक्षण इत्यादि के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात् **20.03.2020**) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख (अर्थात् **20.03.2020**) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा अवश्य प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
- 7.8 भूतपूर्व सैनिक : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-
- 7.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- 7.8.2 जो ऐसी सेवा से या तो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवा निवृत्त हुआ हो या अपनी पेंशन लेने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो, या
- 7.8.3 जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
- 7.8.4 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; अथवा

7.8.5 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

7.8.6 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा

आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा

7.8.7 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

7.8.8 प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

7.8.9 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

8. अतिरिक्त समय तथा प्रलिपिक की सहायता का प्रावधान

8.1 अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसका अनुरोध किया गया हो । चूंकि पदों की कुछ श्रेणियों के लिए दोनों बांह (बी ए) प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त नहीं समझा गया है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, **अनुबंध-1** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा

अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

- 8.3 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- 8.4 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल पहचान पत्र (पैरा -14.8 में दी गई सूची के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। प्रलिपिक के साथ साथ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहचान पत्र की एकफोटोकॉपी **अनुबंध- II** प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- 8.5 किसी अभ्यर्थी का प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी किसी अन्य शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी की इस परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में सहायता करते पकड़ा गया तो, उन दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 8.6 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 8.7 पैरा 8.1 और 8.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ

नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

- 8.8 शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने प्रलिपिक / पैसेज रीडर और / या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें कम्प्यूटर आधारित परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग द्वारा मांगे जाने पर या दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रलिपिक / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। ऐसे सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 8.9 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 8.10 एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स (मैग्रीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स (मैग्रीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्रीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्रीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्रीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

9. अनिवार्य योग्यता(अ.यो) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

- 9.1 संबंधित प्रयोक्ता विभागों / मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) और आयु सीमा के बारे में इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए पद (पदों) के ब्यौरे/ विवरण में उल्लेख किया गया है।
- 9.2 आयु सीमा और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि **01.01.2020** होगी।

- 9.3 पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और वे ऊपर पैरा 9.2 में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं।
- 9.4 जिन पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के दौरान प्राप्त किया गया इंटरशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव, आदि अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- 9.5 उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होने का बाद आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जब इस आयोग द्वारा इसे मांगा जाए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 9.6 विहित अनिवार्य योग्यता (उक्त श्रेणी के पद के लिए भर्ती नियम के अनुसार) के संबंध में 'समकक्षता', अगर किसी श्रेणी के पद में उल्लिखित हो, समकक्ष के समर्थन में भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र), जैसा विज्ञप्ति में उस विशेष श्रेणी(यों) के पद (दों) के विरुद्ध पद के विवरणों में उल्लिखित हो, को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा यह नोट कर लिया जाए कि विज्ञप्ति में किसी श्रेणी के पद के लिए विहित अनिवार्य योग्यता में उल्लिखित न होने वाले मामलों में समकक्षता को स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

- 9.7 ऐसे पद (पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।
- 9.8 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो। तदनुसार, जब अभ्यर्थी ने वह योग्यता हासिल की थी यदि ऐसी डिग्रियां संगत अवधि के लिए मान्यताप्राप्त नहीं है तो उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा
- 9.9 शासकीय राजपत्र में भाग-III(8)(वी) के अधीन दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण) विनियमावली,2017 के अनुसार अभियांत्रिकी,चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला तथा भौतिकचिकित्सा पाठ्यक्रमों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अधीन शिक्षण की अनुमति नहीं है।
- 9.10 तथापि अकादमिक वर्ष 2009-10 तक नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों को इग्नू प्रदानित इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री/डिप्लोमा को वैध माना जाएगा। जहां कहीं भी लागू है।

10. आवेदन कैसे करें :

10.1 अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

10.2 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध-IV और अनुबंध-V को देखें।

10.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **20.03.2020 (23.59 बजे)** है।

10.4 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

10.5 यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता है।

10.6 अभ्यर्थियों को एक पद के लिए केवल एक बार ही आवेदन करना चाहिए।

10.7 ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे विधिवत रूप में स्व प्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।

10.8 दस्तावेज सत्यापन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के

दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर

दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है।

11. आवेदन शुल्क:

11.1 देय शुल्क रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये)

11.1.1 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में किया जा सकता है।

11.3 सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति(अजजा), शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों(शा.दि.) एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों(भूपूसै) को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।

11.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक **23.03.2020 (23.59 बजे)** तक कर सकते हैं। तथापि जो अभ्यर्थी एसबीआई चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं वह अभ्यर्थी दिनांक **25.03.2020** तक बैंक के कार्य-समय के भीतर एसबीआई की नामित शाखाओं में नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक **23.03.2020 (23.59 बजे)** से पहले तैयार कर लिया हो।

11.5 निर्धारित शुल्क भुगतान किए बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकरण के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए जाने वाले शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैया किए गए लिंक "Payment

Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.7 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही उसका समायोजन किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए किया जाएगा। आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

12. परीक्षा केन्द्र

12.1 आयोग के नौ क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र तथा क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/ वेबसाइट
1.	भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206), आगरा(3001), बरेली(3005), कानपुर (3009), लखनऊ(3010),मेरठ(3 011), प्रयागराज (3003),	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज ,उत्तर प्रदेश -211 001. http://www.ssc-cr.org
2.	पोर्ट ब्लेयर(4802), रांची(4205), बालासोर(4601), बेहरामपुर(ओड़ीशा) (4602), भुवनेश्वर	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड,	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4,आचार्य जगदीश

	(4604), कटक(4605), धेनकेलन(4611), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर(4609), गंगटोक(4001) , हुगली(4418), कोलकाता(4410), सिलीगुडी(4415)	उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 (www.sscer.org)
3.	कावारत्ती(9401), बेलगावी(9002), बेंगलूरु(9001), हुबली (9011), कलबूर्गी (गुलबर्गा)(9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु(9009), शिवमोगा (9010), उडूपी (9012), एरनाकुलम (9213), कन्नूर(9202), कोल्लम (9210), कोट्टयम(9205), कोझिकोड (9206), त्रिशूर(9212) , तिरुवनंतपुरम (9211),	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन ,कोरमंगला बेंगलूरु ,कर्नाटक- 560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4.	बिलासपुर(6202) , रायपुर(6204), दुर्ग- भिलाई(6205), भोपाल(6001), ग्वालियर(6005), इंदौर(6006) ,	मध्य प्रदेश उप- क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.) /छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007 (www.sscmpr.org)

	जबलपुर(6007), सतना(6014), सागर(6015), उज्जैन (6016)		-
5.	इटानगर(5001) ,गुवाहा टी (दिसपुर)(5105), इम्फाल(5501), शिलांग(5401),आइजो ल(5701), कोहिमा(5302),अगरत ला(5601)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 www.sscner.org.in
6.	दिल्ली (2201) , अजमेर(2401), अलवर(2402), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407), श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409), सीकर (2411), , देहरादून(2002) , हल्द्वानी(2003) , हरिद्वार (2005), रुड़की(2006)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 www.sscnr.net.in

7.	चण्डीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), जम्मू(1004), सांबा(1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), जालंधर(1402), लुधियाना (1405), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8.	हैदराबाद(8601), कर्नूल(8003), विजयवाड़ा(8008), विशाखापत्तनम(8007), चेन्नई(8201), मदुरै (8204),	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (www.sscsr.gov.in)
9.	अहमदाबाद(7001), मुंबई(7204), पुणे(7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)

12.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।

अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

12.3 अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक यह नोट कर लें कि किसी भी श्रेणी के पद के लिए सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए चुने गए क्षेत्र के विकल्प को, सभी स्तर के पद (दों) पर ध्यान दिए बिना पद की किसी भी श्रेणी के लिए सभी क्षेत्रों में, सभी अनुवर्ती आवेदनों के लिए अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

12.4 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र पर स्थानांतरित कर दे।

13. परीक्षा की रूपरेखा:

13.1. जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन, उच्च माध्यमिक तथा स्नातक और उससे ऊपर के स्तर की है, उनके लिए तीन अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें वस्तुपरक/बहु विकल्पीय चयन वाले प्रश्न होंगे। विषय के ब्योरे, विषय-वार अंकों और प्रश्नों की संख्या का ब्योरा निम्नलिखित है :-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि
क	सामान्य बुद्धिमत्ता	25	50	60 मिनट (पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट)
ख	सामान्य जानकारी	25	50	
ग	परिमाणात्मक अभिरूचि (प्रारंभिक	25	50	

	अंकगणित कौशल)			
घ	अंग्रेजी भाषा (प्रारंभिक ज्ञान)	25	50	

13.2. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे।

13.3. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा दिनांक 07.02.2019 को विज्ञप्ति संख्या 1-1/2018- नीति एवं योजना-I के माध्यम से सूत्र का उपयोग करके सामान्यकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। सामान्यकृत हेतु दृ.दि. अभ्यर्थियों पर केवल मुख्य पाली के अभ्यर्थियों के साथ ही विचार किया जाएगा।

13.4. 40% और इससे अधिक दृष्टि दिव्यांगता वाले दृ.दि. अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य बुद्धिमत्ता / परिमाणात्मक अभिरूचि विषयों में नक्शा / आलेख / आरेख / सांख्यिकी डेटा का कोई घटक नहीं होगा।

13.5. टंकण / डेटा एंट्री / कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा, आदि जैसी कौशल परीक्षाएं, जहाँ आवश्यक योग्यता में निर्धारित किया गया है, का आयोजन किया जाएगा, जो अर्हक प्रकृति का होगा।

13.6. आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी वार संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के प्रत्येक घटक में विभिन्न न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

13.7. परीक्षा के आयोजन के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर अनंतिम उत्तर कुंजियां प्रस्तुत की जाएंगी। अभ्यर्थी अपने परीक्षा प्रारूप से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं और अनंतिम उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा दी गयी समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हैं, तो 100/-रु. प्रति प्रश्न के भुगतान पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दे सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पूर्व उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा नियत समय-सीमा

के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसके पश्चात उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.8. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए संकेतक पाठ्यक्रम

13.8.1 मैट्रिकुलेशन स्तर

सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, आंकड़े वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषण क्रियाओं के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।

सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारतीय संविधान व वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि सहित और भारत व उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

परिमाणात्मक अभिरूचि : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत,

ब्याज, लाभ-हानि, छूट, सारणियों और ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

अंग्रेजी भाषा : इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा के पारंपरिक ज्ञान, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इनके सही प्रयोग की समझ और उसकी लेखन योग्यता की जांच की जाएगी।

13.8.2. 10+2(उच्चतर माध्यमिक) सूत्र :

सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, अनुमान लगाना, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित आंकड़ें, अंकीय/आकृतिक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाएं।

सामान्य जानकारी : अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

संख्यात्मक अभिरुचि :

अंकगणित: संख्या प्रणाली पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा

समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य ।
बीजगणित: स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र । **रेखागणित :** प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय : त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा **क्षेत्रमिति:** त्रिकोण, चतुर्भुज,नियत बहुभुज,वृत्त, सम प्रिज्म ,सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड । **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति ,त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता आदि। **सांख्यिकीय चार्ट :** तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग : आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन,दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट

अंग्रेजी भाषा : त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपान्तरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ ।

13.8.3. सूनातक एवं उससे ऊपर के सूतर :

सामान्य बुद्धिमता : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इसमें विषय हैं : अर्थगत समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, अर्थगत श्रृंखला, अंक श्रृंखलाएं , आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक

संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन आरेख, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न-फोलिंडग व अनफोलिंडग, आकृति पैटर्न-फोलिंडग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा यदि हों, तो अन्य उप विषय ।

सामान्य जानकारी : पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच किए जाने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन संबंधी मामलों की जानकारी एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे ।

परिमाणात्मक अभिरुचि : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के संबंध में उसके बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव , भिन्नों और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊंचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

अंग्रेजी भाषा: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की सही समझ, उसके मूल परिज्ञान और लेखन की योग्यता को जाँचा जाएगा।

क, ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात् स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग-ग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

14. परीक्षा में प्रवेश:

14.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र/अनुदेश जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त (पदों) के लिए पात्र हैं। पैरा 17 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार संवीक्षा के उक्त चरण के लिए चुने गए अभ्यर्थियों से संवीक्षा चरण तथा दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ समर्थनकारी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां मांगी जाएंगी। दस्तावेजों की जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जाती है, तो आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि

नहीं होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- 14.3 परीक्षा संबंधी प्रवेश प्रमाण पत्र (प्र.प) आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 14.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के उन क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके अधिकार-क्षेत्र के अधीन चुना गया परीक्षा-केंद्र पड़ता हो, चाहे संबन्धित पद की श्रेणी/ क्षेत्र कुछ भी हो। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए जाएंगे जिससे पद-श्रेणी संबन्धित हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 14.5 परीक्षा के बारे में सूचनाएँ, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न

करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, रोल नं पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.7 परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना आवश्यक होगा।

14.8 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, ऐसा न होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे:

14.8.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,

14.8.2 मतदाता पहचान-पत्र,

14.8.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

14.8.4 पैन कार्ड,

14.8.5 पासपोर्ट,

14.8.6 स्कूल / कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र,

14.8.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र

(सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निजी) आदि

14.8.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवामुक्ति बुका

14.8.9 केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो लगा वैध पहचान-पत्र।

14.9 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र अवश्य लाना होगा। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.10 पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.11 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जा सकता है।

14.12 धुंधला फोटोग्राफ और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. दस्तावेजों का सत्यापन

15.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को अपनी संबंधित पद-श्रेणी के क्षेत्रीय कार्यालय में पैरा सं. 15.4 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ फोटो प्रतियों सहित दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

15.2 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र, संबंधित पद श्रेणी के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

15.3 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो और एक मूल फोटो

पहचान-पत्र, पैरा सं. 14.8 में किए गए उल्लेख अनुसार, लाना आवश्यक है।

15.4 अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:

15.4.1 मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र

15.4.2 आवेदित पद श्रेणी की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

15.4.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।

15.4.4 यदि पद के लिए अपेक्षित है तो अनुभव प्रमाणपत्र।

15.4.5 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र।

15.4.6 यदि लागू हो, तो अपेक्षित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

15.4.7 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र:

15.4.7.1 यदि लागू हो, तो अनुबंध- IX के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण पत्र।

15.4.7.2 अनुबंध- IX (क) अनुसार वचनपत्र

15.4.7.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र

15.4.8 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र

15.4.9 सरकार/सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र

15.4.10 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

15.4.10.1. महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति/ पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित

- प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 15.4.10.2. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्रकी सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 15.4.10.3. महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 15.4.10.4. पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.4.11. दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ : अनुबंध-XII

17. चयन प्रक्रिया : -

17.1 चयन पदों के लिए भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रणाली में लिखित परीक्षा के जरिए की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे।

17.2 उन सभी अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके द्वारा चुने गए परीक्षा केन्द्र में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना

पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

17.3 जिन आवेदनों में फोटोग्राफ धुंधले होंगे/ नहीं होंगे, हस्ताक्षर धुंधले होंगे/नहीं होंगे, शुल्क प्राप्ति नहीं/अपूर्ण आवेदन/इत्यादि होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

17.4 जो अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं/ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं /एक ही क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों(मैट्रिकुलेशन, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर) के पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे 'समान अभ्यर्थी' कहलाते हैं।

17.5 ऐसे 'समान अभ्यर्थियों' को अनिवार्य योग्यता के एक स्तर के लिए सिर्फ एक प्रवेश प्रमाणपत्र क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, जिनके अधिकार-क्षेत्र में अभ्यर्थी द्वारा पहली ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्पित परीक्षा-केंद्र स्थित है, जारी किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, एक अभ्यर्थी जिसने तीन या अधिक पद-श्रेणी के तीन अनिवार्य योग्यता स्तरों (मैट्रिकुलेशन, उच्च-माध्यमिक और स्नातक एवं उच्चतर)के लिए आवेदन किया है, उन्हें सिर्फ तीन प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे अर्थात् हर अनिवार्य योग्यता स्तर के लिए एक।

17.6 समान अभ्यर्थियों को पद के एक स्तर के लिए केवल एक ही बार परीक्षा में बैठना होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने दो स्तर अर्थात् मैट्रिकुलेशन और उच्चतर माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन किया है, तो उसे प्रत्येक स्तर की परीक्षा के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी(एक बार मैट्रिक स्तर के पद – श्रेणी के लिए और एक बार उच्चतर माध्यमिक स्तर पद- श्रेणी के लिए)। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अन्य क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में उस स्तर के पद(पदों) के लिए मेरिट-सूची तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

17.7 निम्नलिखित रूप में कट-ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम पर भर्ती के अगले चरण में विचार नहीं किया जाएगा।

अ.ना. - 35 %

अ.पि.व/ई डब्ल्यू एस - 30%

अन्य श्रेणियां - 25 %

17.8 पदों की किसी विशेष श्रेणी की रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक और योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

. पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 तक की रिक्तियों के लिए 1:20 के अनुपात में।

. पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 से अधिक, न्यूनतम 100 के अध्यधीन रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में।

17.9 जिन अभ्यर्थियों को संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को जिससे कि वह पद- श्रेणी संबंधित है, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित हार्ड कॉपी में शैक्षिक योग्यता (ईक्यू), अनुभव, श्रेणी, आयु, आयु में छूट आदि (यथा लागू) सभी सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को जमा करना होगा।

17.10 दस्तावेज सत्यापन उस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिससे कि वह पद- श्रेणी संबंधित है

17.11 पदों की किसी श्रेणी के लिए कौशल परीक्षा जहाँ कहीं भी निर्धारित की गयी हो, उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनके दस्तावेजों की हार्ड कापी जांच के स्तर पर आयोग के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त की गयी हो और वह सुव्यवस्थित हो।

17.12 विशेष श्रेणी के पद के लिए जांच स्तर पर सही पाए जाने वाले सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जिससे कि वह पद- श्रेणी संबंधित है, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किया जाएगा जिस श्रेणी से

पद संबन्धित हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

17.13 अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात उनके मूल दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दीगयी सूचना गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता के ऐसे निरस्तीकरण के संबंध में किसी अपील या अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना दी है।

17.14 पद की किसी विशेष श्रेणी के लिए अंतिम परिणामों की घोषणा के समय संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ही अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित किए जाएंगे। और बाकी सभी अन्य अभ्यर्थियों के अंक, किसी भी श्रेणी के पद के लिए, जिन्होंने कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया था, चरण-VIII/2020 के विज्ञप्ति के तहत प्रकाशित समस्त श्रेणियों के पदों का एकसाथ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

17.15 अजा., अजजा, अपिव, भूपूसै, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के उन अभ्यर्थियों, जिनका शिथिल मानकों में छूट के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है को रिक्तियों के आरक्षित कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो। आरक्षित रिक्तियां पात्र अजा., अजजा, अपिव, भूपूसै, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों में से अलग से भरी जाएगी।

17.16 अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र

आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसे के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसे को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- 17.17 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।
- 17.18 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 17.19 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

17.20 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

17.21 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

17.22 अगर, दस्तावेज़ जांच/ अंतिम दस्तावेज़ सत्यापन के समय, आयोग को लगता है की विशेष पद-श्रेणी के लिए रिक्ति (यां) पूर्णतः नहीं भर रही है, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों को, 5 रिक्तियों तक 1:20 के अनुपात में और 5 से ज्यादा रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में रिक्तियों को भरने के लिए, आयोग के निर्णय पर, सिर्फ और एक बार बुलाया जाएगा।

18. बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

18.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के सामान्यकृत अंक समान होने की स्थिति में, निम्नलिखित मानदंडों को दिए गए अनुक्रम में क्रियान्वित करके, जब तक कि बराबरी(टाई) का मामला हल न हो जाए, बराबरी के मामलों का निपटान किया जाएगा :

- i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक
- ii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में अंक
- iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में अंक
- iv) जन्म तिथि के आधार पर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- v) नाम का वर्णानुक्रम(प्रथम नाम पहले) ।

19. आवेदन पत्र / अभ्यर्थिता को निरस्त/रद्द करने के कारण :

19.1 निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदकों के आवेदन-पत्र/अभ्यर्थिता निरस्त/रद्द की जा सकती है :-

19.1.1. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,

19.1.2. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, (मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),

19.1.3. आवेदन-पत्र में साफ फोटोग्राफ और स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की स्थिति में,

19.1.4 अनुदेशों के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो

19.1.5. अनुदेशों के अनुसार शुल्क का भुगतान न करने पर

19.1.6. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,

19.1.7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा मांगे जाने पर शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/ अजजा/अपिव/ ई डब्ल्यू एस, शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै/सीजीसीई] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों को प्रस्तुत न करने पर,

19.1.8. **01.01.2020** की स्थिति के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आयु आदि न होने की स्थिति में,

19.1.9. महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना

19.1.10. संगत दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना

19.1.11. परीक्षा परिसर /हॉल में निषेधात्मक साधनों को ले जाना,

19.1.12. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

19.1.13. परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-20 में दिए गए कदाचारों में से किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।

19.1.14. अनिवार्य योग्यता(अर्थात मैट्रिकूलेशन, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक एवं ऊपर के स्तर) के एक ही स्तर के लिए अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में दो बार बैठना।

19.1.15. परीक्षा भवन में नशे की हालत में अभ्यर्थियों के पाए जाने पर।

19.1.16. कोई अन्य अनियमितता

20. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों को दंड देना/उन्हें वारित करना यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग के परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष

8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्लैपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	8 वर्ष

21. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के

आबंटन तथा मेरिट लिस्ट तैयार करने एवं कोर्स आबंटन, कदाचारों में लिप्त होने पर वारित करने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

22. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/016-स्था. (ख) के तहत जारी निर्देशों के साथ पठित दिनांक 19.07.2017 के उत्तरवर्ती का.ज्ञा. के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात, भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को नेशनल करियर सर्विस(एन.सी.एस.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात अंतिम परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक -अंकों, रैंकिंग के अलावा अभ्यर्थी का नाम, अभिवावक/ पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष/ महिला), अर्हक परीक्षा के कुल अंक, ई-मेल पता सहित संपूर्ण पता उपरोक्त पोर्टल अर्थात् एन सी एस पर प्रदर्शित किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने का विकल्प रहेगा।

23. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं दी हैं।

24. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
-----	--

(ख)	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्म तिथि ठीक वैसी ही लिखनी चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज है। यदि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करते समय नाम और जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के समय नाम या जन्म तिथि में विभिन्नता पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ग)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(घ)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। पैरा 17 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संवीक्षा के उपर्युक्त चरण और दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में किया गया कोई दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(ङ.)	अजा/अजजा/अपिव/शादि/ईडब्लूएस/भू.सै. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(च)	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(छ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता है, उसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र की एक प्रति प्रिंट करके कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद, संवीक्षा-स्तर पर और आयोग द्वारा जब कभी भी मांगे जाने

	पर, जमा करने के लिए और साथ ही अपने खुद के रेकॉर्ड के लिए रख लेनी चाहिए।
(ज)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पद की एक श्रेणी के लिए केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। एक श्रेणी पद के लिए अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और पद संबंधी परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ञ)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को फौरन निरस्त कर दिया जाएगा।
(ट)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ठ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस .के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ड)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और अपना हाल ही का फोटो लगा कम से कम एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या नियोक्ता या केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो/ पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को उनके जन्मतिथि के प्रमाण के लिए एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र और जन्मतिथि के समर्थन में लाये गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा

	का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 8.1 और 8.2 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ढ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/ साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ण)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयन होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(त)	उपरोक्त परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा।
(थ)	<u>ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे विधिवत रूप में स्व अनुप्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।</u>
(द)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(ध)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(न)	दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता-प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को संबंधित पद श्रेणी के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।

25. जिस व्यक्ति ने:

25.1 किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

25.2 पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

26. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

27. अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
1	अनुबंध-I	शा.दि. (एक परीक्षार्थी के रूप में लिखने में सीमा के संबंध में)	सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक
2	अनुबंध-II	शा.दि. (अपना प्रलिपिक प्रयोग करने के लिए वचन पत्र	आवेदक स्वयं
3	अनुबंध-III	पदों की श्रेणियों का विवरण	
4	अनुबंध-IV तथा V	एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश	
5	अनुबंध-VI	अ.जा/अ.ज. जा.	i जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका

				मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
			iii	कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी
			iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी:	तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
6	अनुबंध-VII	अपिव	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त इत्यादि।	
7	अनुबंध-VIII	प्रपत्र-V	शा.दि.	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/ मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
		प्रपत्र-VI		
		प्रपत्र-VII		
8	अनुबंध-IX	ईएसए	कमांडिंग अधिकारी	
9	अनुबंध-IX क	म	स्वयं आवेदक	
10	अनुबंध-X	सीजी सीई	कार्यालय प्रमुख या विभाग का प्रमुख	
11	अनुबंध-X क	सीजी सीई	स्वयं आवेदक	
12	अनुबंध-XI	ईडल्यू एस	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक	

			<p>मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट।</p> <p>मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट</p> <p>कम से कम तहसीलदार के रैंक का राजस्व अधिकारी</p> <p>उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।</p>
13	अनुबंध-XII	प्रयोग किए गए संक्षिप्त नाम	

अनुबंध-1

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती
.....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री
....., ग्राम/जिला/राज्य
..... के निवासी हैं, जोकि
.....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित
दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और
उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे
उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल
सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी:

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप)
दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम)
..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित
..... (केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी
शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम)
अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है।
यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित

योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

अनुबंध-III को इस
विज्ञप्ति के अंत में देखा
जा सकता है।

अनुबंध-IV

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन एकबारगी 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

- क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
- ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
- ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
- घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
- ङ. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो (20केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 (ऊंचाई) होनी चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरसृत कर दिया जाएगा।
- च. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी) । हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरसृत कर दिया जाएगा। दृ.दि अभ्यर्थियों के लिए अंगूठे के निशान की भी अनुमति है।
- छ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।

4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

- क. प्रारंभिक विवरण
- ख. अतिरिक्त जानकारियां और संपर्क विवरण

ग. स्कैन की गई पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या:1- आधार संख्या /पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या :2-अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या4-: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या5-: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या :6-मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
 - i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या -8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

- ज. क्रम संख्या -9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक

हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प . क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या 15 से 18 : अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. क्रम संख्या 19 तथा 20: उपरोक्त क्रम संख्या-2 में निर्दिष्टानुसार हाल ही की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- भ. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।

कक. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है। इसलिए एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
2. "नवीनतम अधिसूचना" TAB के अंतर्गत खंड " चरण-VIII/2020/चयन पद परीक्षा में" 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
3. क्रम सं1-. से 14, 29,30,31 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। यदि आप इनमें से कोई डाटा संशोधित करना चाहते हैं, 'Modify Registration' पर क्लिक करें और यथोचित रूप से एक बारगी पंजीकरण डाटा का संपादन करें।
4. क्रम संख्या-15: उस क्षेत्र के नाम का चयन करें जिससे वह पद संबद्ध है।
5. क्रम संख्या-16: उस पद कोड का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
6. क्रम संख्या-17 तथा 18: आपके द्वारा चयनित पद कोड के आधार पर पदनाम और पद का स्तर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
7. क्रम संख्या-19: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
8. क्रम संख्या-20: यदि आप सैन्य सेवाकर्मी या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिको/ भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
9. क्रम संख्या-21.1: यदि आप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हैं, तो सूचना भरें।
10. क्रम संख्या-21.2: यदि लेखन हेतु आपकी शारीरिक सीमाएं हैं और आपको प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो उल्लेख करें। और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की इस विज्ञप्ति का पैरा 8.2 देखें।
11. क्रम संख्या-21.3 से 21.5: यदि आपको परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

12. क्रम संख्या-22 : यह सूचना पद के ब्यौरों के साथ स्वतः भरी जाएगी।
13. क्रम संख्या-23: अगर क्रम सं.22 में मान हां है तो कौशल-परीक्षा का माध्यम चुनना पड़ेगा।
14. क्रम संख्या-24: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपर्युक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
15. क्रम संख्या-25: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
16. क्रम संख्या-26: कृपया अपना कार्य अनुभव इंगित करें।
17. क्रम संख्या-27: यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) से हैं, तो जानकारी प्रदान करें। यह केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है।
18. क्रम संख्या-28: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-22 देखें और तदनुसार भरें।
19. फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
20. "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
21. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें।
22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
23. शुल्क का भुगतान भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से तथा एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद के रूप में किया जा सकता है।
24. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-11 का संदर्भ लें।
25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए और आयोग द्वारा यथा अपेक्षित होने पर आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*
.....
जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र*.....के

जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र
आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 @

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002 @

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 @

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन)
अधिनियम,2002 @

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 @

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो
एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*
.....के माता/पिता
श्री/श्रीमती.....निवासी
ग्राम/कस्बा*.....

.....जिला/संभाग*
.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....

को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर
जारी किया जाता है जोजाति/जनजाति से संबंधित हैं

जो.....दिनांक.....द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या* उनका परिवार
सामान्यतः

ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....

दिनांक.....

सहित)

(कार्यालय की मुहर

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि
.....
पुत्र/पुत्री ग्राम
..... जिला/संभाग राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र के समुदाय से संबंधित
हैं जो दिनांक-----संकल्प सं.-----सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०.....तथा/या उनका
परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र के जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

मुहर :

जिलाधीश या उपायुक्त आदि।

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "सामान्यतः" शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

प्रपत्र-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(अंग के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात अथवा बौनापन और अंधापन के मामले)
(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

दिनांक:

प्रमाणपत्र सं.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----

-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि-----

-----आयु..... (दि./म.व.).....पुरुष/महिला-----

पंजीकरण संख्या.....

स्थायी आवास मकान नं..... वार्ड/गांव/गली

.....

डाकघर.....जिला.....राज्य

..... की सावधानीपूर्वक जांच की है।

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- बौनापन

- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)
(ख) उनके मामले मेंनिदान किया गया है।
(ग) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-VIII

प्रारूप-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----

-- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री-----जन्म तिथि-----

----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण

संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो
ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी स्थायी शारीरिक
निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको
जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित दिव्यांगताओं के लिए
मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त दिव्यांगता के
समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब हमले के पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			

12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-VIII

प्रारूप-VII

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(प्रारूप V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी
का नाम एवं पता)

(नियम 18(1) देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि -----
----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला----- पंजीकरण
संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----
--- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी
फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि
वे दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक
निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और

उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित दिव्यांगताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त दिव्यांगता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब हमले के पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			

15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन दिव्यांगताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का	जारी करने की	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
-------------	--------------	---------------------------------------

स्वरूप	तारीख	का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-IX

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7 तथा 7.8 देखें)

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार

.....
(नंबर).....(रैंक)
.....(नाम).....(दिनांक).....
....को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:
हस्ताक्षर)

(कमांडिंग अधिकारी के

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 7 और 7.8 देखें

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली वचन बद्धता

मैं, अनुक्रमांक

.....

.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको

..... कार्यालय मेंपद पर

कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको

..... कार्यालय मेंपद पर

कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी

जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/
समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-X

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने
वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 3.4 देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी
_____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो
_____ रू. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम तारीख
के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।
चरण-VIII/ 2020 / चयन पद परीक्षा में उनके बैठने में कार्यालय को कोई आपत्ति
नहीं है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

परिशिष्ट-X(क)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी सेवारत आवेदकों द्वारा
प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -3.4 देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने VIII/ 2020 / चयन पद परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ :

नियुक्ति की तिथि

वर्तमान धारित पद तथा वेतनमान

नियोजक का नाम एवं पता.....

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल:.....

स्थान एवं तारीख.....

*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

अनुबंध- XI

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी
प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी

स्थायी निवासी _____ गाँव/गली

डाकघर _____ जिला

राज्य/संघ _____ राज्य-क्षेत्र

पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे

सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष
..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8
लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित
में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध

जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार
का अभिप्रमाणित फोटो

*टिप्पणी 1: आय के सभी साधन शामिल अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।
**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेता है, उसके/उसकी माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और साथ ही उसके/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
*** टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व का आकलन करते समय "परिवार" द्वारा भिन्न स्थानों या भिन्न जगहों/ शहरों में धारित संपत्ति को इकट्ठा कर दिया गया है।

अनुबन्ध-XII

प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

एआईएसएल: अखिल भारतीय सेवा दायित्व,
बीएल: दोनों पैर प्रभावित,
सीजीसीई: केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारी ,
डी / ओ: विभाग,
डीक्यू: वांछनीय योग्यता,
ईक्यू: अनिवार्य योग्यता,
ईएसएम: भूतपूर्व सैनिक,
ईडब्लूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,
जीईएन: सामान्य
एचएच: श्रवण दिव्यांग
आईपी: प्रारंभिक पोस्टिंग,
जेआर: नौकरी की आवश्यकताएं,
एलवी: अल्प दृष्टि,
एम / ओ: मंत्रालय,
एनए: लागू नहीं,

ओ/ओ : का कार्यालय,
ओए: एक बांह प्रभावित,
ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग,
ओईए: अन्य नियोजित आवेदक।
ओएच: अस्थि दिव्यांग,
ओएल: एक पैर प्रभावित,
पीडी: आंशिक बधिर,
पीडब्ल्यूडी: दिव्यांग व्यक्ति
एससी: अनुसूचित जाति,
एसएससी: कर्मचारी चयन आयोग;
एसटी: अनुसूचित जनजाति,
यूआर: अनारक्षित,
वीएच: दृष्टि दिव्यांग,

Annexure-III

Post No.	Post Name	Department	Age	Pay Scale	EQ Level	SC	ST	OBC	UR	ESM	OH	HH	VH	Ors.	EWS	TOTAL
CR10120	LAB ASSISTANT (GEOLOGY) GR. III	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA	18-25	LEVEL 2	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
CR10220	LAB ASSISTANT (CHEMICAL) GR. III	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA	18-25	LEVEL 2	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
CR10320	LAB ASSISTANT (GEOPHYSICS) GR. III	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA	18-25	LEVEL 2	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
CR10420	TECHNICAL OPERATOR (DRILLING)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA	18-25	LEVEL 2	Matriculation	1	0	2	5	0	0	0	0	0	0	8
CR10520	STORE KEEPER GRADE II	NATIONAL SUGAR INSTITUTE KANPUR	18-30	LEVEL 4	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CR10620	JUNIOR ENGINEER {Q. A. (ARMAMENT- AMMUNITION)}	DGQA, NEW DELHI	18-30	LEVEL 6	Graduation & Above	5	2	4	11	0	0	0	0	0	0	22
CR10720	JUNIOR ENGINEER {Q. A. (ARMAMENT- INSTRUMENTS)}	DGQA, NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
CR10820	JUNIOR ENGINEER {Q. A. (ARMAMENT- SMALL ARMS)}	DGQA, NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2

CR10920	JUNIOR ENGINEER {Q. A. (ARMAMENT- WEAPONS)}	DGQA, NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
---------	---	-----------------	-------	-----------------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	(ELECTRONICS}}			112400)													
CR11720	JUNIOR ENGINEER {Q. A. (COMBAT VEHICLE}}	DGQA, NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	2	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0	12
CR11820	SCIENTIFIC ASSISTANT {M & E (MILITARY EXPLOSIVE}}	DGQA, NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6
CR11920	FIELD ASSISTANT	NATIONAL CAREER SERVICE CENTRE FOR DIFFERENTLY ABLED, KANPUR	18-25	level-4	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
CR12020	TECHNICAL OFFICER (S & R)	DEPTT. OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION, STORAGE AND RESEARCH DIVISION, NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
CR12120	DIETICIAN GRADE III (JR. DIETICIAN)	DTE. GENERAL MEDICAL SERVICES (ARMY), NEW DELHI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5
CR12220	TECHNICAL SUPERINTENDENT (WEAVING)	WEAVER'S SERVICE CENTRE, GUWAHATI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400- 112400)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

CR12320	TEXTILE DESIGNER	WEAVER'S SERVICE CENTRE, GUWAHATI	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400-112400)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
CR12420	SR. SCIENTIFIC ASSISTANT (MICROBIOLOGICAL RESEARCH)	NATIONAL RESEARCH LABORATORY FOR CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTY, LUCKNOW	18-30	LEVEL-6 (RS. 35400-112400)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
CR12520	GIRLS CADET INSTRUCTOR	DTE GENERAL NCC, NEW DELHI	20-25	level-4	Graduation & Above	2	0	3	3	0	0	0	0	0	1	9
CR12620	FUMIGATION ASSISTANT	IGSM & RESEARCH INSTITUTE, HAPUR	18-25	level-4	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
CR12720	LABORATORY ATTENDANT	NATIONAL SEED RESEARCH & TRAINING CENTRE, VARANASI	18-27	LEVEL 2	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ER10120	LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (GENERAL)	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700027	18-28	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	2	0	5	10	0	0	0	0	0	0	17
ER10220	LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (GENERAL)	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700027	18-28	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1

ER10320	LIBRARY CLERK (GENERAL)	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700027	18-25	Level 2 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	2	1	4	17	1	0	0	0	0	1	25
ER10420	LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (LABORATORY)	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700027	18-28	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ER10520	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOLOGY)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	0	2	5	0	1	0	0	0	0	8
ER10620	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (CROPS DEVELOPMENT DIRECTORATES)	O/O THE DIRECTORATE OF JUTE DEVELOPMENT, MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE, NIZAM PALACE CAMPUS, 234/4, AJC BOSE ROAD, KOLKATA-700020	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ER10720	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (CHEMICAL)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, EASTERN REGION, BHU- BIJNAN BHAWAN, DK-6, SECTOR-II, 3RD FLOOR, KARUNAMOYEE, SALT	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2

		LAKE, KOLKATA-700091															
ER10820	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOLOGY)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, EASTERN REGION, BHU-BIJNAN BHAWAN, DK-6, SECTOR-II, 3RD FLOOR, KARUNAMOYEE, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	4
ER10920	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOPHYSICS)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, EASTERN REGION, BHU-BIJNAN BHAWAN, DK-6, SECTOR-II, 3RD FLOOR, KARUNAMOYEE, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4

ER11020	LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT	O/O THE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT FORESTS & CLIMATE CHANGE, PRANI VIGYAN BHAWAN, 'M' BLOCK, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ER11120	JUNIOR ZOOLOGICAL ASSISTANT	O/O THE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT FORESTS & CLIMATE CHANGE, PRANI VIGYAN BHAWAN, 'M' BLOCK, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053	18-27	Level-5 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
ER11220	LABORATORY ASSISTANT GRADE-III (GEOPHYSICS)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, EASTERN REGION, BHU-BIJNAN BHAWAN, DK-6, SECTOR-II, 3RD FLOOR, KARUNAMOYEE, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-25	Level-2 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ER11320	LABORATORY ASSISTANT GRADE-III (GEOLOGY)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, EASTERN REGION, BHU-BIJNAN BHAWAN, DK-6, SECTOR-II, 3RD FLOOR, KARUNAMOYEE, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-25	Level-2 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
ER11420	TECHNICAL OPERATOR (DRILLING)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, EASTERN REGION, BHU-BIJNAN BHAWAN, DK-6, SECTOR-II, 3RD FLOOR, KARUNAMOYEE, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-25	Level-2 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	3	1	3	7	0	0	1	0	0	1	15
ER11520	GIRL CADET INSTRUCTOR [FEMALE ONLY]	O/O THE DIRECTORATE GENERAL NCC, MINISTRY OF DEFENCE, WEST BLOCK-IV, RK PURAM, NEW DELHI-110066	20-25	Level-4 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	2	0	1	13	0	0	0	0	0	2	18
ER11620	SENIOR ZOOLOGICAL ASSISTANT	O/O THE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT FORESTS & CLIMATE CHANGE, PRANI VIGYAN BHAWAN, 'M' BLOCK, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	9	4	20	48	0	4	0	0	0	9	90

ER11720	TECHNICAL OFFICER	O/O THE JUTE COMMISSIONER, MINISTRY OF TEXTILES, CGO COMPLEX, E&F WING, 4TH FLOOR, DF BLOCK, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064	18-30	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
ER11820	LABORATORY ASSISTANT	O/O THE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST & CLIMATE CHANGE, PRANI VIGYAN BHAWAN, 'M' BLOCK, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053	18-27	Level 3 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ER11920	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (DRILLING)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	2	0	8	24	0	0	2	0	0	1	35
ER12020	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOPHYSICS)	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	7	0	0	1	0	0	0	8
ER12120	LIBRARY CLERK (BINDING)	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700 027	18-25	Level 2 in the Pay Matrix as per 7th	Matriculation	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	6

				CPC													
ER12220	LABORATORY TECHNICIAN	O/O THE INSTITUTE OF SEROLOGY, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, 3 KYD STREET, KOLKATA-700016	18-27	Level 3 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	2	1	3	7	0	0	0	0	0	1	14	
ER12320	OFFICE ATTENDANT (MTS)	O/O THE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT FORESTS & CLIMATE CHANGE, PRANI VIGYAN BHAWAN, 'M' BLOCK, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053	18-25	Level 1 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	2	0	3	4	2	0	1	0	0	2	11	
ER12420	FIELD ATTENDANT (WITH MULTI TASKING)	O/O THE ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT FORESTS & CLIMATE CHANGE, PRANI VIGYAN BHAWAN, 'M' BLOCK, NEW ALIPORE, KOLKATA-700053	18-25	Level 1 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	2	1	4	4	2	1	0	0	0	4	15	
ER12520	SCIENTIFIC ASSISTANT (RPT)	O/O THE NATIONAL TEST HOUSE, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION, CP BLOCK, SECTOR-V, SALT	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	

		LAKE, KOLKATA-700091															
ER12620	SCIENTIFIC ASSISTANT (MECHANICAL)	O/O THE NATIONAL TEST HOUSE, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION, "CP"™ BLOCK, SECTOR-V, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
ER12720	SCIENTIFIC ASSISTANT (ELECTRICAL)	O/O THE NATIONAL TEST HOUSE, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION, "CP"™ BLOCK, SECTOR-V, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
ER12820	SCIENTIFIC ASSISTANT (PHYSICAL CIVIL)	O/O THE NATIONAL TEST HOUSE, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION, "CP"™ BLOCK, SECTOR-V, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	6

ER12920	SCIENTIFIC ASSISTANT (NDT)	O/O THE NATIONAL TEST HOUSE, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION, "CP" BLOCK, SECTOR-V, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ER13020	SCIENTIFIC ASSISTANT (CHEMICAL)	O/O THE NATIONAL TEST HOUSE, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION, "CP" BLOCK, SECTOR-V, SALT LAKE, KOLKATA-700091	18-30	Level 7 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5
ER13120	JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT	O/O THE CENTRAL, DRUGS LABORATORY, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, 3, KYD STREET, KOLKATA-700016	18-30	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
ER13220	INSTRUCTOR (STENOGRAPHY)	O/O THE NATIONAL CAREER SERVICE CENTRE FOR SC/ST, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, ITI CAMPUS, HEHAL, RANCHI-834005	18-30	Level 6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

ER13320	RESEARCH ASSOCIATE (PHYSICAL ANTHROPOLOGY DIVISION)	O/O THE ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ER13420	RESEARCH ASSOCIATE (CULTURAL ANTHROPOLOGY)	O/O THE ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ER13520	LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT	O/O THE ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ER13620	PHOTOGRAPHER (MICRO)	O/O THE ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE, 27, JAWAHARLAL NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-25	Level-5 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ER13720	COMPOSITOR	O/O THE ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE, 27, JAWAHARLAL NEHRU	18-30	Level-2 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

		ROAD, KOLKATA-700016														
ER13820	CANTEEN ATTENDANT	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700027	18-25	Level-1 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Matriculation	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
ER13920	TECHNICAL SUPERINTENDENT (PROCESSING)	O/O THE WEAVERS' SERVICE CENTRE, MINISTRY OF TEXTILES, IIHT CAMPUS, NH-37, JAWAHAR NAGAR, KHANAPARA, GUWAHATI-781022	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ER14020	CLERK	O/O THE NATIONAL LIBRARY, MINISTRY OF CULTURE, ALIPORE, KOLKATA-700027	18-25	Level-2 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ER14120	SENIOR SURVEYOR	O/O THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF MINES, CENTRAL HQRS., 27 J.L. NEHRU ROAD, KOLKATA-700016	18-30	Level-6 in the Pay Matrix as per 7th CPC	Higher Secondary (10+2)	2	1	5	15	0	0	1	0	0	2	25

KK10120	INSTRUCTOR (MARINE ENGINEERING)	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING (CIFNET), KOCHI	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commissio n.	Graduation & Above	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KK10220	INSTRUCTOR (FISHING TECHNOLOGY)	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING (CIFNET), KOCHI	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commissio n.	Graduation & Above	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KK10320	INSTRUCTOR (SEAMANSHIP & NAVIGATION)	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING (CIFNET), KOCHI	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commissio n.	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KK10420	ASSISTANT CURATOR	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, NEW DELHI	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commissio	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

				n													
KK10520	TECHNICAL ASSISTANT	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, NEW DELHI	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Graduation & Above	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
KK10620	PROGRAMME ASSISTANT	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, NEW DELHI	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
KK10720	SENIOR RADIO TECHNICIAN	DIRECTORATE OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS, COCHIN	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Graduation & Above	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

KK10820	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (HYDROGEOLOGY)	CENTRAL GROUND WATER BOARD, FARIDABAD	18-30	Level 7 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission	Graduation & Above	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4
KK10920	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (CHEMICAL)	CENTRAL GROUND WATER BOARD, FARIDABAD	18-30	Level 7 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission	Graduation & Above	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

KK11020	RESEARCH ASSOCIATE (CULTURAL ANTHROPOLOGY)	ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, KOLKATA	18-30	Level 6 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KK11120	GIRL CADET INSTRUCTOR [FEMALE ONLY]	DIRECTORATE GENERAL NCC, NEW DELHI	20-25	Level 4 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Graduation & Above	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
KK11220	CARPENTER-CUM-ARTIST	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, NEW DELHI	18-25	Level 2 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Higher Secondary (10+2)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KK11320	RECEPTIONIST/TICKETING ASSISTANT	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, JAIPUR HOUSE, INDIA GATE, NEW DELHI	18-25	Level 2 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
KK11420	PHOTO ARTIST	ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, KOLKATA	21-25	Level 4 in the Pay Matrix of 7th Central Pay Commission.	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

MP10420	CIVIL ENGINEER	BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE, DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, RAISEN BYPASS ROAD, KAROND, BHOPAL-462038	18-30	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
MP10520	TUTOR (NURSING COLLEGE)	BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE, DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, RAISEN BYPASS ROAD, KAROND, BHOPAL-462038	18-30	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-)	Graduation & Above	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MP10620	PERFUSIONIST GRADE-II	BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE, DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, RAISEN BYPASS ROAD,	18-30	Level-6 in Pay Matrix (Rs.35400-112400/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

		KAROND, BHOPAL-462038															
MP10720	STORE INCHARGE	BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE, DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH, MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, RAISEN BYPASS ROAD, KAROND, BHOPAL-462038	18-27	Level-5 in Pay Matrix (Rs.29200-92300/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
MP10820	LABORATORY ATTENDANT	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION, CENTRAL GROUND WATER BOARD, BHUJAL BHAWAN, N.H.-IV, FARIDABAD(HARYANA)-121001	18-27	Level-1 (Rs. 18000/-) in the pay matrix	Matriculation	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4

NE10920	INVESTIGATOR GRADE-II	LABOUR BUREAU, MIN. OF LABOUR & EMPLOYMENT	18-30	Level-6: Rs.35400- 112400/-	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
NE11020	LABORATORY ASSISTANT GRADE-III (GEOLOGY)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, NER, MIN. OF MINES	18-25	Level-2: Rs.19900- 63200/-	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
NE11120	LABORATORY ASSISTANT GRADE- III(CHEMICAL)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, NER, MIN. OF MINES	18-25	Level-2: Rs.19900- 63200/-	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
NE11220	TECHNICAL OPERATOR(DRILLING)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, NER, MIN. OF MINES	18-25	Level-2: Rs.19900- 63200/-	Matriculation	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	4
NE11320	PHOTOGRAPHER	DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES, MIN. OF HOME AFFAIRS	21-25	Level-5: Rs.29200- 92300/-	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
NE11420	FIELD-CUM- LABORATORY ATTENDANT	NATIONAL CENTRE OF ORGANIC FARMING, DEPTT. OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE, M/O AGRICULTURE & FARMERS WELFARE	18-25	Level-1: Rs.18000- 56900/-	Matriculation	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

NR10120	LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT	ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	2	0	2	8	0	1	0	0	0	0	0	12
NR10220	ASSISTANT CURATOR	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
NR10320	CARPENTER-CUM-ARTIST	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI.	18-25	Pay Matrix Level-2 (Grade Pay Rs. 1900/-)	Higher Secondary (10+2)	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
NR10420	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOPHYSICS)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, WESTERN REGION, JAIPUR, MIN. OF MINES.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	4
NR10520	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (GEOLOGY)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, WESTERN REGION, JAIPUR, MIN. OF MINES.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	3
NR10620	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (CHEMICAL)	GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, WESTERN REGION, JAIPUR, MIN. OF MINES.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2

NR11620	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (PHYSICS)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR11720	SENIOR PROJECTIONIST	NATIONAL MUSEUM, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI	21-28	Pay Matrix Level-5 (Grade Pay Rs. 2800/-)	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR11820	ASSISTANT DRUG INSPECTOR	CENTRAL DRUG STANDARD CONTROL ORGANISATION, DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES, MIN. OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
NR11920	OFFSET MACHINEMAN	LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION, MUSSOORIE (UTTARAKHAND)	18-25	Pay Matrix Level-5 (Grade Pay Rs. 2800/-)	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR12020	LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT	LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION, MUSSOORIE	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

		(UTTARAKHAND)															
NR12120	TECHNICAL CLERK (ECONOMICS)	DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, MIN. OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE, NEW DELHI	18-27	Pay Matrix Level-4 (GP Rs. 2400/-)	Higher Secondary (10+2)	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6
NR12220	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (GEOLOGY)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR12320	TECHNICAL SUPERINTENDANT (PROCESSING)	WEAVER'S SERVICE CENTRE, OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS, MIN. OF TEXTILES, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
NR12420	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	4	3	7	13	0	0	0	0	1	3	30	

NR12520	ASSISTANT (LEGAL)	LEGISLATIVE DEPARTMENT, MIN. OF LAW & JUSTICE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	5
NR12620	JUNIOR ACCOUNTS OFFICER	LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION, MUSSOORIE (UTTARAKHAND)	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR12720	JUNIOR TECHNICIAN	LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION, MUSSOORIE.	18-27	Pay Matrix Level-5 (Grade Pay Rs. 2800/-)	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NR12820	FIELD ASSISTANT (NUT. & IDD)	DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES, MIN. OF HEALTH & FAMILY WELFARE, NEW DELHI	18-25	Pay Matrix Level-3 (Grade Pay Rs. 2000/-)	Higher Secondary (10+2)	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2
NR12920	DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE-A	FOREST SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2

NR13020	SENIOR RESEARCH ASSISTANT	CENTRAL WATER COMMISSION, MIN. OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	2	0	5	11	0	0	1	0	0	1	19
NR13120	TECHNICAL ASSISTANT	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	5
NR13220	SENIOR PHOTOGRAPHER	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
NR13320	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (GEOGRAPHY)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NR13420	LABORATORY ATTENDANT	NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL, DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES, MIN. OF HEALTH AND FAMILY	18-25	Pay Matrix Level-1 (Grade Pay Rs. 1800/-)	Matriculation	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

		WELFARE, NEW DELHI															
NR13520	SANITARY INSPECTOR	NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL, DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES, MIN. OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, NEW DELHI	18-28	Pay Matrix Level-5 (Grade Pay Rs. 2800/-)	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR13620	BINDER	NATIONAL ARCHIVES OF INDIA, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI	18-25	Pay Matrix Level-1 (Grade Pay Rs. 1800/-)	Matriculation	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	8
NR13720	DATA ENTRY OPERATOR GRADE B	DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, MIN. OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE, NEW DELHI	18-25	Pay Matrix Level-5 (Grade Pay Rs. 2800/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

NR13820	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (ZOOLOGY)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NR13920	PRESERVATION ASSISTANT	NATIONAL ARCHIVES OF INDIA, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-3 (Grade Pay Rs. 2000/-)	Higher Secondary (10+2)	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	8
NR14020	JUNIOR TECHNICAL ASSISTANT (JTA)	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	2	2	8	7	0	0	0	1	0	1	20	
NR14120	DATA ENTRY OPERATOR GRADE	INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	1	5	0	0	0	0	0	1	7	
NR14220	SENIOR CONSERVATION ASSISTANT	ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MIN. OF CULTURE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Higher Secondary (10+2)	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	7	
NR14320	DIETICIAN GRADE	DTE GEN MEDICAL SERVICES(ARMY), MIN. OF DEFENCE, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	2	1	2	1	0	0	0	0	0	2	8	

		WELFARE, NEW DELHI															
NR15020	SECTION OFFICER (HORTICULTURE)	CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT, MIN. OF HOUSING & URBAN AFFAIRS, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
NR15120	UPPER DIVISION CLERK	OFFICIAL LANGUAGE WING, LEGISLATIVE DEPARTMENT, MIN. OF LAW & JUSTICE, NEW DELHI	18-27	Pay Matrix Level-4 (Grade Pay Rs. 2400/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NR15220	GEOGRAPHER	OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA, MIN. OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	6
NR15320	SR. SCIENTIFIC ASSISTANT (BIOLOGY)	CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY(CFSL), CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

NR17320	RESEARCH ASSOCIATE (PHYSICAL ANTHROPOLOGY DIVISION)	ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
NR17420	INVESTIGATOR (LANGUAGE)	OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
NR17520	LIBRARY CLERK	UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION.	18-25	Pay Matrix Level-2 (Grade Pay 1900/-)	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
NR17620	DATA ENTRY OPERATOR GRADE A	CABINET SECRETARIAT	18-25	Pay Matrix Level-4 (Grade Pay Rs. 2400/-)	Higher Secondary (10+2)	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
NR17720	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (BOTANY)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

NR17820	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (ELECTRICAL ENGG.)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NR17920	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (PHARMACY)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NR18020	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (MECHANICAL ENGG.)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NR18120	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (EDUCATION)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

NR18620	ASSISTANT SCIENTIFIC OFFICER (HOME SCIENCE)	COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY, MIN. OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-7 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NR18720	DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE-A	NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU, MIN. OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI.	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	2	2	1	7	0	0	2	0	0	0	0	12
NR18820	ACCOUNTS CLERK	DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT, NEW DELHI	18-25	Pay Matrix Level-4 (Grade Pay Rs. 2400/-)	Graduation & Above	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
NR18920	SCIENTIFIC ASSISTANT	CENTRAL WATER COMMISSION, MIN. OF JAL SHAKTI, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 (Grade Pay Rs. 4200/-)	Graduation & Above	3	1	2	7	0	1	0	0	0	0	2	15
NW10120	LABORATORY ATTENDANT	CENTRAL GROUND WATER BOARD, MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION, FARIDABAD (HARYANA))	18-27	LEVEL-1 in the Pay Matrix	Matriculation	1	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	9

NW10220	SENIOR TECHNICAL ASSISTANT (CHEMICAL)	CENTRAL GROUND WATER BOARD, DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,, MINISTRY OF JAL SHAKTI, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION	18-30	LEVEL - 7 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2
NW10320	TECHNICAL OPERATOR (DRILLING)	CENTRAL GROUND WATER BOARD, DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, MINISTRY OF JAL SHAKTI & WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION	18-27	Level 2 in the Pay Matrix	Matriculation	2	0	3	9	5	0	0	0	0	0	14
NW10420	LABORATORY ATTENDANT	CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAUJI, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE /DTE GENERAL OF HEALTH SERVICES.	18-25	Level 1 in the Pay Matrix	Matriculation	2	4	11	15	0	0	0	0	0	6	38
NW10520	BOILER ATTENDANT	CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAUJI, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE /DTE GENERAL OF	18-25	LEVEL 2 IN THE PAY MATRIX	Matriculation	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

		HEALTH SERVICES.															
NW10620	WORKSHOP ATTENDANT	CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAULI, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE /DTE GENERAL OF HEALTH SERVICES	18-25	LEVEL-1 IN THE PAY MATRIX	Matriculation	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
NW10720	LIBRARY ATTENDANT	CENTRAL RESEARCH INSTITUTE, KASAULI, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE /DTE GENERAL OF HEALTH SERVICES	18-25	LEVEL 2 IN THE PAY MATRIX	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
NW10820	INVESTIGATOR GRADE-II	LABOUR BUREAU, MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT	18-30	LEVEL-6 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	4	2	7	11	0	1	1	0	0	2	26	
NW10920	JUNIOR SCIENTIFIC ASSISTANT	REGIONAL DRUGS TESTING LABORATORY, CENTRAL DRUGS STANDARD CONTROL ORGANIZATION, MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF	18-30	LEVEL-6 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

		INDIA.															
NW11020	GIRL CADET INSTRUCTOR (GCI) (FOR FEMALE CANDIDATES ONLY)	DIRECTORATE GENERAL NATIONAL CADETS CORPS, MINISTRY OF DEFENCE.	20-25	LEVEL 4 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	2	1	5	13	0	0	0	0	0	3	24	
NW11120	ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER GRADE-1 (DOCUMENTS)	DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY, CHANDIGARH, MINISTRY OF HOME AFFAIRS.	20-25	LEVEL-7 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
NW11220	DATA PROCESSING ASSISTANT GRADE A	DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION QUARANTINE AND STORAGE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE, MINISTRY OF AGRICULTURE &	18-30	LEVEL-6 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

		FARMERS WELFARE.															
NW11320	TECHNICAL OFFICER (STORAGE AND RESEARCH)	DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION, MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC ADMINISTRATION.	18-30	LEVEL-6 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NW11420	DRIVER CUM-MECHANIC	DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION, QUARANTINE & STORAGE; DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION & FARMERS WELFARE, MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE.	18-27	LEVEL-3 IN THE PAY MATRIX	Matriculation	2	1	5	10	2	0	0	0	0	2	20	

NW11520	SENIOR SCIENTIFIC ASSISTANT (BALLISTICS)	CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORY, DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES, MINISTRY OF HOME AFFAIRS.	18-30	LEVEL-6 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NW11620	JUNIOR COMPUTER	CENTRAL WATER COMMISSION, DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RD&GR, MINISTRY OF JAL SHAKTI.	18-27	LEVEL-2 IN THE PAY MATRIX	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NW11720	ASSISTANT COMMUNICATION OFFICER	DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS, MINISTRY OF HOME AFFAIRS	18-30	Level 6 in the Pay Matrix	Graduation & Above	33	15	42	73	18	2	3	3	0	18	181	
SR10120	NURSING ORDERLY	SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY, HYDERABAD	18-27	Level -2 (Rs.19900-63200)	Matriculation	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SR10220	STOCKMAN (JUNIOR GRADE)	CENTRAL HERD REGISTRATION SCHEME, ONGOLE	18-27	Level -2 (Rs.19900-63200)	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SR10320	GIRL CADET INSTRUCTOR [FEMALE ONLY]	DIRECTORATE GENERAL NCC, NEW DELHI	20-25	Level -4 (Rs.25500-81100/-)	Graduation & Above	0	3	1	16	0	0	0	0	0	3	23	

WR10620	GIRL CADETS INSTRUCTORS (GCIS) (WOMAN ONLY)	DIRECTORATE GENERAL NCC MINISTRY OF DEFENCE AFI MUMBAI	20-25	Pay Matrix Level-4 in Rs. 25500-81100	Graduation & Above	3	0	8	11	0	0	0	0	0	2	24
WR10720	CARETAKER	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MINISTRY OF CULTURE NEW DELHI.	18-25	Pay Matrix Level-4 in Rs. 25500-81100	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
WR10820	SENIOR PHOTOGRAPHER	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MINISTRY OF CULTURE NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 in Rs. 35400- 112400	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
WR10920	RECEPTIONIST/TICKE TING ASSISTANT	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, MINISTRY OF CULTURE NEW DELHI	18-25	Pay Matrix Level-2 in Rs. 19900-63200	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
WR11020	ECONOMIC OFFICER	TEXTILE COMMISSIONER MINISTRY OF TEXTILES, MUMBAI	18-30	Pay Matrix Level-6 in Rs. 35400- 112400	Graduation & Above	1	0	2	5	0	0	1	0	0	0	8
WR11120	LIBRARY AND INFORMATION ASSISTANT	CENTRAL WATER AND POWER RESEARCH STATION PUNE (MINISTRY OF WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION)	18-30	Pay Matrix Level-6 in Rs. 35400- 112400	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

		PUNE.															
WR11220	ASSISTANT STORE KEEPER	NATIONAL FIRE SERVICE COLLEGE MINISTRY OF HOME AFFAIRS NAGPUR	18-25	Pay Matrix Level-4 in Rs. 25500-81100	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
WR11320	MECHANIC	NATIONAL FIRE SERVICE COLLEGE MINISTRY OF HOME AFFAIRS NAGPUR	18-25	Pay Matrix Level-2 in Rs. 19900-63200	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
WR11420	HEAD DRAFTSMAN	CENTRAL WATER AND POWER RESEARCH STATION, PUNE	18-30	Pay Matrix Level-7 in Rs. 44900- 142400	Graduation & Above	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
WR11520	TECHNICAL ASSISTANT	NATIONAL GALLERY OF MODERN ART, NEW DELHI	18-30	Pay Matrix Level-6 in Rs. 35400- 112400	Graduation & Above	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
WR11620	LABORATORY ASSISTANT GRADE-II	CENTRAL WATER AND POWER RESEARCH STATION PUNE MINISTRY OF WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT & GANGA	21-27	Pay Matrix Level-4 in Rs. 25500-81100	Graduation & Above	2	0	2	6	0	0	1	0	0	0	1	11

WR12220	INSTRUCTOR STENOGRAPHY (ENGLISH)	NATIONAL CAREER SERVICE CENTRE FOR SC/STS, MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, MAJURAGATGE SURAT.	18-30	Pay Matrix Level-6 in Rs. 35400- 112400	Graduation & Above	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
WR12320	TECHNICAL OFFICER	TEXTILE COMMISSIONER MINISTRY OF TEXTILES, MUMBAI	18-30	Pay Matrix Level-6 in Rs. 35400- 112400	Graduation & Above	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	4
WR12420	AGRICULTURE FIELDMAN	CENTRAL CATTLE BREEDING FARM MINISTRY OF FISHERIES ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING, DHAMROD SURAT	18-25	Pay Matrix Level-4 in Rs. 25500-81100	Higher Secondary (10+2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
WR12520	DIETICIAN GRADE-III (JR. DIETICIAN)	DIRECTORATE GENERAL MEDICAL SERVICES (ARMY) (MINISTRY OF DEFENSE) ROOM NO.83 L BLOCK, NEW DELHI- 110001	18-30	Level-6- in Rs. 35,400 - 112400	Graduation & Above	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	6

END